



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 2429

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44153 सन् 2025

रितिक राय

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:-

सुरेन्द्र कुमार वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री पुनीत कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत याचीकाकर्ता की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे मामला अपराध संख्या 250 सन् 2025, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 के अंतर्गत, थाना - रुरा, जिला - कानपुर देहात में जमानत पर रिहा किया जाए।
3. याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे से 21 किलोग्राम 413 ग्राम गांजा बरामद होना कथित है। वास्तव में याचीकाकर्ता से कोई बरामदगी नहीं की गई। यह भी निवेदन किया गया कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50, 51 एवं 52 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि याचीकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं परेशान करने की नीयत से वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। याचीकाकर्ता, जो 29.07.2025 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यदि याचीकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचीकाकर्ता की जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि याचीकाकर्ता, जो प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, उसकी निर्दोषता का निर्धारण विचारण-पूर्व अवस्था में नहीं किया जा सकता, अतः याचीकाकर्ता किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि याचीकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हो जाएगा।

5. यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। **राजस्थान राज्य बनाम बालचंद @ बलिया (1977) 4 एससीसी 308** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि जमानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है और अनुच्छेद 2 में अभिमत व्यक्त किया कि "मूल नियम शायद संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है - जमानत, जेल नहीं, सिवाय उन परिस्थितियों के जो न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया को विफल करने या अन्य परेशानियाँ उत्पन्न करने जैसे अपराध दोहराने या गवाहों को डराने-धमकाने आदि के रूप में संकेत देती हों, उस याचीकाकर्ता की ओर से जो न्यायालय से जमानत पर रिहाई चाहता है। हमारा आशय संपूर्ण नहीं बल्कि केवल उदाहरणात्मक होना है।" तथा मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए एवं **गुडीकांति नरसिम्हुलु एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, एआईआर 1978 एससी 429** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में होने वाले दंड की गंभीरता, अभियुक्त-याचीकाकर्ता का चरित्र, उसकी विशिष्ट परिस्थितियाँ, विचारण में याचीकाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य का व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किंतु गुण-अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत प्रदान किए जाने का उचित मामला है।

6. गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, *अभियुक्त-याचीकाकर्ता रितिक राय, जो उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उतनी ही राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-*

1. याचीकाकर्ता जाँच या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. याचीकाकर्ता बिना किसी स्थगन की माँग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. याचीकाकर्ता जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा। मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व याचीकाकर्ता तथा जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाए।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026

विभा सिंह